संख्या- /2005/ XIV-1/2005

प्रेषक,

नवीन चन्द शर्मा
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवामें,

अपर निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,
उत्तराँचल अल्मोड़ा

गन्ना-चीनी एवं सहकारिता अनुभाग: देहरादून: दिनांक: 23 मार्च, 2005

विषय:- केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत उत्तराँचल के चमोली जिले में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु वर्ष 2004-05 में चतुर्थ किश्त की वित्तीय सहायता की स्वीकृति के सम्बन्ध में.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2368/नियो0/आई.सी.डी.पी./दिनाँक 06.09.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में रू0 10.30 लाख अनुदान एवं रू0 21.55 लाख अंशधन तथा रू0 18.15 लाख ऋण अर्थात कुल रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है. उक्त धनराशि की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जायेगी. उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराँचल द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित पी.आई.ए./जिला सहकारी बैंक लि0 को उपलब्ध कराई जायेगी और पूर्व में उपलब्ध कराई गई धनराशि की उपयोगिता सुनिश्चित की जायेगी.

(1) उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत सभी ऋणों की प्रतिपूर्ति हो चुकी है और उसे कोषागार के सम्बन्धित लेखा समिति में जमा कर दिया गया है.

(2) स्वीकृत अंशपूँजी ऋण एवं अनुदान की धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तो के अनुसार व्यय की जायेगी.

(3) स्वीकृत धनराशि निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय-समय पर प्राप्त शर्तो के अनुरूप नियत्रित होगी.

(4) इन शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तराँचल की होगी.

(5) आवश्यक उपयोग प्रमाण पत्र एवं इसकी सूचना यथा समय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से अवगत कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही वर्ष की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना एवं भौतिक प्रगति की सूचना भी शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा.

(6) पैरा-1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग में नही लाई जायेगी. लेखा परीक्षण, मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार उत्तरांचल द्वारा भी किया जा सकता है.

(7) विगत में स्वीकृत किस्तों के उपयोग की असन्तोषजनक स्थिति को देखते हुए चतुर्थ किस्त की शेष धनराशि स्वीकृत धनराशि के सन्तोषजनक उपभोग की दशा में अगले वित्तीय वर्ष में निर्गत कर दी जायेगी.

2. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे. यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जायें.

3. उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में सहकारिता विभाग के सम्बन्धित अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों के नामें डाला जायेगा.

लेखाशीर्षक	(धनराशि लाख रूपये में)
2425-सहकारिता आयोजनागत	
-00-	
800-अन्य व्यय	
04-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना तैयार करने हेतु अनुदान(एन.सी.डी.सी.)	
-00-	
20-सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता	10.30
4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	
-00-	
200-अन्य निवेश	
03-एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की अंशपूजी में विनियोजन(राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित)	
30-निवेश/ऋण	21.55
6425-सहकारिता के लिए कर्ज	
-00-	
800-अन्य कर्ज	
04-एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	
-00-	
30-निवेश/ऋण	18.15
योग:	50.00

(रू0 पचास लाख मात्र)

4. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की धनराशि में से अनुदान की धनराशि रू010.30 लाख (रूपये दस लाख तीस हजार मात्र) की प्राप्तियाँ लेखाशीर्षक ''2425-सहकारिता-800-अन्य प्राप्तियाँ-03-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त'' एवं अंशपूजी एवं ऋण रू0 39.70 लाख (रूपये उनतालीस लाख सत्तर हजार मात्र) की प्राप्तियाँ लेखाशीर्षक-30-लोक ऋण-6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-108-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज-18-सहकारिता के अन्तर्गत जमा किया जायेगा.

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- 1843/वि0अनु.-2/04 दिनॉक 22.03.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय,

(नवीन चन्द शर्मा)
सचिव.

संख्या-97 (1)/2005/ XIV-1/2005/तद्दिनॉक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा.
2. जिलाधिकारी, चमोली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया योजना की समीक्षा अपने स्तर से करने एवं प्रगति सूचना से शासन को समय-समय पर अवगत कराने का कष्ट करें.
3. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4-सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली.
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, देहरादून.
5. सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, चमोली.
6. महालेखाकार, उत्तरॉचल देहरादून.
7. सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तरॉचल देहरादून.
8. सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, उत्तरॉचल देहरादून.
9. सचिव, वित्त, उत्तरॉचल शासन, देहरादून.
10. निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरॉचल देहरादून.
11. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग/आय-व्ययक अनुभाग/नियोजन अनुभाग.
12. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून.
13. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(नवीन चन्द शर्मा)
सचिव.